

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s JMS Infra Build Private Limited.,
Plot No. 2380-SP, Sector-46,
Gurugram-122001

क्रमांक

58

/एम0बी0

दिनांक 29/05/2023

विषय:-

Clarification regarding Aravali Clearance.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, सोहना व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, सोहना ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 139/ओ.के. दिनांक 04.05.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट हल्का पटवारी से ली गई। रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौजा सोहना, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम बिन्दुवार निम्न प्रकार से है।

प्रार्थना पत्र में खेवट नं0 882, 535, 536, 314, 569 मु0न0 137 कीला नम्बर 7(2-6), 8(8-0), 9(5-18), 10/2(2-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 14(3-16), 17(4-2), 18(8-0), 19(8-0), 20(8-0), 21(8-0), 22(8-0), 23(8-0), 24(4-2) मु0न0 138 कीला नम्बर 2(8-0), 3(8-0), 4(3-6) कीला 19 कुल रकबा 122 कनाल 0 मरला सालम बरुवे इंतकाल नं0 28681 बैय, 28682 बैय, 28683 बैय, 28689 बैय की रूह से JMS Infra Build Private Limited., Plot No. 2382-SP, Sector-46, Gurugram, की मलकियत है।

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं0 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़ या बंजर बीहड़ या रुन्द्र नहीं है।
3. दिनांक 07.05.1992 नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात अराजी काश्ता रही है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार।
5. अराजी मुतनाजा का किसी भी न्यायालय के केस का इन्द्राज खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
6. उपरोक्त अराजी मुतनाजा SEZ(Special Economical Zone) में नहीं आता है।
7. प्रार्थना पत्र में दर्शाए गये खसरा नं0 पर धारा 4-6 का अवार्ड आदि बारे इन्द्राज खाना कैफियत में दर्ज नहीं है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार।
8. जमाबन्दी साल 2001-02 मौजा सोहना, तह0 सोहना, जिला गुरुग्राम के अनुसार खेवट 882, 535, 536, 314, 569 मु0न0 137 कीला नम्बर 7(2-6), 8(8-0), 9(5-18), 10/2(2-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 14(3-16), 17(4-2), 18(8-0), 19(8-0), 20(8-0), 21(8-0), 22(8-0), 23(8-0), 24(4-2) मु0न0 138 कीला नम्बर 2(8-0), 3(8-0), 4(3-6) कीला 19 कुल रकबा 122 कनाल 0 मरला सालम बरुवे इंतकाल नं0 28681 बैय, 28682 बैय, 28683 बैय, 28689 बैय की रूह से JMS Infra Build Private Limited., Plot No. 2382-SP, Sector-46, Gurugram, की मलकियत है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 88-G दिनांक 17.04.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 27.01.2023 को 15.0687 एकड़ एरिया सोहना, जिला गुरुग्राम (M/s JMS Infra Build Pvt. Limited) को फारेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की

जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Sh. Pushpender Singh, M/s JMS Infra Build Private Limited, having Rect. No./Killa No. 137//7min(2-4), 8min(6-18), 9min(5-13), 10/2(2-0), 11(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 14(3-16), 17(4-2), 18(8-0), 19(8-0), 20(8-0), 21(8-0), 22(8-0), 23(8-0), 24(4-2), 138//2(8-0), 3(8-0), 4(3-16) Total Land Measuring 15.0687 Acre situated within the revenue estate at Village Sohna, Gurugram made a proposal to use this land for Affordable Plotted Colony (ddjay-2016). It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s JMS Infra Build Private Limited.,** whose land is located at **Village/city Sohna, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued As per Above Mentioned Conditions

अतः तहसीलदार, सोहना व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Sohna, Tehsil Sohna, Distt. Gurugram की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते: उपायुक्ता, गुरुग्राम।